न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : **श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S**

राजस्व वाद संख्या : **55/22 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No: 2022/95

1. श्री मति गंगा बाई कुम्हार पत्नि श्री भूरालाल जी कुम्हार निवासी खेरादा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज0)।

..........प्रार्थी

बनाम्

1. श्री राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार भीण्डर, जिला उदयपुर (राज0)।
2. श्रीमती जमनाबाई पत्नि श्री मनहरलाल, जाति– कुम्हार निवासी खेरोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज0)।

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री मुकेश कुमार डॅांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला–उदयपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 12.07.2022

1. प्रार्थी की और से निवेदन है कि ग्राम– खेरोदा, हल्का– खेरोदा, भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र– खेरोदा, तहसील– भीण्डर, जिला– उदयपुर (राज.) में निम्नलिखित कृषि भूमि स्थित है:– आराजी संख्या 3146 रकबा क्षेत्रफल 0.0900 हेक्टर है, आराजी संख्या 3147 रकबा क्षेत्रफल 0.0500 हेक्टर है, आराजी संख्या 3148 रकबा क्षेत्रफल 0.1000 हेक्टर है, कुल किता 03 है कुल रकबा क्षेत्रफल 0.2400 हेक्टर है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में उपरोक्त भूमि में 1/84 हिस्सा प्रार्थीया के नाम पर तथा 9/28 हिस्सा विपक्षी संख्या 2 के नाम पर दर्ज है तथा शेष 2/3 हिस्सा अन्य सह खातेदार काश्तकार के नाम पर दर्ज है। ताईद में नकल जमाबंदी संवत् 2078 से 2081 पेश है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 में अंकित भूमि के साबिक खसरा नम्बर 3510/2 मीन क्षेत्रफल 01 बीघा 01 बिस्वा 10 बिस्वांशी थे, जिसमें 1/6 हिस्सा प्रार्थीया के नाम पर तथा 1/6 हिस्सा विपक्षी संख्या 2 के नाम पर दर्ज था तथा शेष 2/3 हिस्सा हिस्सा अन्य सह खातेदार काश्तकार के नाम दर्ज था। ताईद में नकल जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 पेश हे एवं मिलान पत्रक पेश हैं।
3. यह कि नवीन जमाबंदी में इस प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 में अंकित भूमि में प्रार्थीया के नाम पर 1/6 हिस्सा दर्ज [illegible]या 2 के नाम पर 1/6 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था, परुतु नवीन जमाबं[illegible] रूप से प्रार्थीया के नाम पर 1/84 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 2 के नाम पर 9/[illegible] हिस्सा दर्ज कर दिया गया एवं विपक्षी संख्या 2 की जाति भी कुम्हार के स्थान पर [illegible] दर्ज कर दी गई।
4. यह कि नवीन राजस्व रिकॉर्ड में हुई इस अशुद्धि [illegible] शुद्ध किया जाकर नवी[illegible]स्व रिकॉर्ड को सही किये जाने के लिए प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 1 के समक्ष दिनांक 02.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:46:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला–उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

02.2022 को निवेदन किया गया,जिस पर विपक्षी संख्या संख्या 1 द्वारा इसके लिए सक्षम न्यायालय में कानुनी कार्यवाही की बात कही गई, जिससे बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 01 02.2022 कों पैदा होकर निरन्तर रूप से जारी है।

5. यह कि विपक्षी संख्या 1 भूमिधारी होकर प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है, जिससे विपक्षी संख्या 1 पक्षकार मुकदमा बनाये गये है एवं विपक्षी संख्या 1 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुति से पुर्व उन्हें नियमानुसार प्रषित किये जाने वाले सूचना पत्र से छूट हेतु प्रार्थना पत्र के साथ अलग अलग से प्रार्थना से प्रार्थना पत्र पेश है।

6. यह कि विपक्षी संख्या 2 को आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है तथा अन्य सह खातेदार आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार मुकदमा नहीं बनाये गये है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निम्न अनुतोष प्रार्थीया को प्रदान कराया जावें:–

(अ) कि इस प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम– खेरोदा, पटवार क्षेत्र–खेरादा के नवीन आराजी नम्बर 3146, 3147, 3148 कुल खसरे 03 क्षैत्रफल 0.2400 हेक्टर में प्रार्थीया का हिस्सा शुद्ध किया जाकर 1/84 के स्थान पर 1/6 अंकित कराया जावें तथा विपक्षी संख्या 2 का भी हिस्सा शुद्ध कराया जाकर 9/28 के स्थान पर 1/6 अंकित कराया जावें एवं विपक्षी संख्या 2 की जाति ब्राह्मण के स्थान पर कुम्हार दर्ज कराई जावें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर कोई आपति नहीं जताई तथा निवेदन किया प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या 2 का भी हिस्सा सुधारा जाकर उसकी जाति ब्राहाण जो गलत दर्ज हो गई है उसे सुधारा जाकर ब्राहाण के स्थान पर कुम्हार की जावे।

8. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्यन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी द्वारा भी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उभय पक्ष के हिस्से को सुधार किये जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेज का अध्धन किया। प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 मे अंकित भूमि के साबिक खसरा नम्बर 3510/2 मीन क्षेत्रफल 01 बीघा 01 विस्वा 10 बिस्वांशी थे जिसमें 1/6 हिस्सा प्रार्थीया के नाम तथा 1/6 हिस्सा विपक्षी संख्या 2 के नाम दर्ज था तथा शेष 2/3 हिस्सा अन्य सह खातेदार काश्तकार के नाम पर दर्ज था। परन्तु नवीन जमाबंदी में अशुद्ध रूप से प्रार्थीया के नाम 1/84 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 2 के नाम 9/28 हिस्सा दर्ज कर दिया गया एवं विपक्षी संख्या 2 की जाति भी कुम्हार के स्थान पर ब्राहाण दर्ज कर दी गई थी। जिसे सुधारा जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:46:36 IST
Reason: SelfAttested

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम– खेरोदा, पटवार क्षेत्र–खेरादा के नवीन आराजी नम्बर 3146, 3147, 3148 कुल खसरे 03 क्षैत्रफल 0.2400 हेक्टर में प्रार्थीया का हिस्सा शुद्ध किया जाकर

Scanned by CamScanner

1/84 के स्थान पर 1/6 अंकित किया जावें तथा विपक्षी संख्या 2 का भी हिस्सा शुद्ध कराया जाकर 9/28 के स्थान पर 1/6 अंकित किया जावें एवं विपक्षी संख्या 2 की जाति संशोधित कर ब्राह्मण के स्थान पर कुम्हार दर्ज किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

12/7/22

(रमेश सीरवी पुनाडियाRAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:46:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner